

आलय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न.75/2020

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 28.1.2020

सरकार बनाम भोलाराम
निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गौर सायलान उपस्थित।
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय
की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम मोरधा तहसील कोटपूतली के ख0 न0
1263/59.71है0 किस्म गै0मु0 नदी मेंसे 1.0 है0पर भोलाराम पुत्र ज्वारा जाति गुर्जर निवासीस
मोरधा तहसील कोटपूतली ने जौ की कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है
।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गौर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की
धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया। बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये। सुचनाप्राप्त
गौर सायल उपस्थित आये तथा जबाब नहीं पेश किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज,
पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत
रिपोर्ट मू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है गौर सायल का उक्त
आराजियात पर अतिक्रमण सिद्ध होता है। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर
1263/59.71 वाके ग्राम मोरधा की किस्म गै0 मु0 नदी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर
अतिक्रमण कर नदी के स्वरूप को क्षति पहुचाने का है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय राज0
द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536/2013 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में
निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै0मु0 नदी0,तालाब, जोहड़,भराव,बहाव क्षेत्र की 1947की स्थिति
कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं।

अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है। अगर अतिक्रमी के
विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असतोष की स्थिति
उत्पन्न होगी

अतः गौरसायल भोलाराम पुत्र ज्वारा जाति गुर्जर निवासी मोरधा तहसील कोटपूतली जिला
जयपुर को वाके ग्राम मोरधा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1263/59.71है0 किस्म

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

गै0मु0 नदी मे से 1.0 है0 भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा बोई गई फसल जौ को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 2 रु. का पचास गुणा 100रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

सहसिलक
को अग्रवली

